छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्रमांक 4361 /एफ–1–119/31/एस–2/2021, नवा रायपुर, दिनाँक 11/11/2024
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :– **मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (पूर्व में–कोरिया) जिले के विकासखंड–खडगंवा की अंजनी जलाशय का निर्माण कार्य (नहर विस्तारीकरण एवं सी.सी. चैनल निर्माण कार्य) की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– 1. प्र.अ.का पत्र क्र.–251/बो.प्र/प्रशा.स्वी./2021/7853, दिनांक 23.09.2021.
2. आपका पत्र क्र.–सा–1–का निविदा/2038, दिनांक 24.07.2024.

राज्य शासन एतद द्वारा मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (पूर्व में–कोरिया) जिले के विकासखंड–खडगंवा की अंजनी जलाशय का निर्माण कार्य (नहर विस्तारीकरण एवं सी.सी. चैनल निर्माण कार्य) हेतु लागत राशि रू. 495.27 लाख (रू. चार करोड़ पंचानबे लाख सत्ताईस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 1128 हेक्टेयर में 217.20 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 19 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 1147 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}–सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)–लघु सिंचाई योजना, #97–निर्माण कार्य, 003–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1539/बजट–2/वित्त/चार 2024, दिनांक 05.11.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नही होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

F:\D2-WRD (AK) (SR)-2024\AAAA.AADESH.....docx

पृ.क्र. 4362 / एफ–1–119 / 31 / एस–2 / 2021, नवा रायपुर, दिनाँक 11/11/2024

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
18 NOV 2024
कक्ष........................

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग